



2026:AHC-LKO:372-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 506 सन 2025

कादिर @ अब्दुल कादिर

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव पंचायती राज
लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अनिल मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

विलंब माफी आवेदन

1. अपील दाखिल करने में केवल चार दिन का विलंब हुआ है। प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को विलंब माफ करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हम भी दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, इसलिए हम अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हैं।
2. आवेदन को अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपील पर आदेश

3. जैसा कि आक्षेपित आदेश को पढ़ने से स्पष्ट है, रिट याचिका दिनांक 18.11.2021 के आक्षेपित आदेश पारित होने के चार वर्ष से अधिक के विलंब से दाखिल की गई थी।
4. याचिका 2025 में दाखिल की गई थी। रिट याचिका में उपरोक्त विलंब और लापरवाही का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए रिट न्यायालय ने इसे इसी आधार पर खारिज कर दिया।
5. हमें आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 6, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।